न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
123/2022	1.11.2022	13-1-2026

1. मौहम्मद आरिफ पुत्र जमसीर, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
2. मोहम्मद जाकिर पुत्र जमसीर, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
3. मौहम्मद जाबिर पुत्र जमसीर, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर

——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वदी के पिता जमसीर पुत्र सलावत खॉ के नाम भूमि गत ख0न0 1275 रकबा 18 बिस्वा व 1629 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल 4 बीघा 14 विस्वा ग्राम उेदईकलॉ मे स्थित रही है। जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2025—28 मे जमसीर पुत्र सलावत खॉ मुर्तहन के रूप मे दर्ज रहा है। भूप्रबन्ध के दौरान कर्मचारियों ने तहसील गंगापुर सिटी संवत 2039 मे बनाई गई जमाबंदी गत ख0न0 1275 व 1629 के नवीन ख0न0 3789 रकबा 0.16 है0 ख0न0 3980 रकबा 0.86 है0 दर्ज किये। वादीगण के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण अपने कब्जेशुदा भूमि पर केसीसी लोन लेने हेतु पटवारी से मिले तो उनहोने बताया कि तुम्हारे या तुम्हारे पिता जमसीर के नाम से कोई खातेदारी भूमि उदेईकलॉ मे नही है। तब राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2025—29 को देखने पर वादीगण के पिता जमसीर पुत्र सलावत खॉ के नाम भूमि ख0न0 1275 रकबा 18 बिस्वा, 1629 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि राहिन अब्दुल मजीद पुत्र सलावत मुर्तहन दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग ने खतौनी संवत 2039 मे ख0न0 3789 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3980 रकबा 0.86 है0 की खातेदारी जमसीर पुत्र सलावत खॉ के स्थान पर जरजोर पुत्र सलावत खॉ मुर्तहन दर्ज कर दी है जबकि सलावत खॉ के पुत्र का नाम जरजोर नही होकर जमसीर रहा है तथा यह भूमि साबिक रकबे के मुकाबले 16 एयर कम दर्ज है।ग्राम उदेईकलॉ मे अब्दुल मजीद पुत्र सलावत खॉ नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है। उसका नाम बतौर मुर्तहन ... माना भी जाता है तो रहन मुर्तहन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

इन्द्राज हटाये जाने लायक है क्योकि राहिन मुर्तहन का इन्द्राज करीव 54–55 वर्ष पुराना हो चुका है जबकि पॉच वर्ष पश्चात ही कानूनन रहन बागुजाश्त हो जाती है व राजस्व रिकॉर्ड से मुर्तहन का नाम स्वतः ही लैण्ड होल्डर द्वारा हटाया जाना चाहिए था। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 3789 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3980 रकबा 0.86 है0 ग्राम उदेईकलॉ वादीगण के पिता जमसील पुत्र सलावत खॉ की खातेदारी भूमि को भूप्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से जरकोर पुत्र सलावत खॉ के नाम दर्ज कर दी, अब इस भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जाव। इन्द्राज मुर्तहन अब्दुल मजीद पुत्र सलावत हो रहा है उसे हजफ फरमाया जावें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि भूमि को वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि जमाबंदी सवर्तमान संवत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 320 ख0न0 3789 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3980 रकबा 0.86 है0 जरजोर पुत्र सलावत खॉ जाति मुसलमान सा0देह खातेदार राहिन अब्दुल मजीद पुत्र सलावत खॉ मुसलमान सा0 देह दर्ज रिकार्ड हे। जमाबंदी संवत 2025–28 मे ख0न0 1275 रकबा 18 विबस्वा एवं ख0न0 1629 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा जमसीर पुत्र सलावत खॉ. मु0 सा0देह रराहिन अब्दुल मजील पुत्र सलावत खॉ मुर्तहन दर्ज रिकॉर्ड है। भूप्रवन्ध जमावंदी संवत 2039 मे खाता संख्या 297 मे दर्ज ख0न0 3789 एवं 3980 ख0न0 1275, 1629 से बने जो जरजोर पुत्र सलावत खॉ जाति मुसलमान सा. देह राहिन अब्दुल मजीद पुत्र सलावत खॉ जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार मुर्तहीन दर्ज है। वर्तमान मे भी ख0न0 3789 रकबा 0.16 है0 ख00 3980 रकबा 0.86 है0 जरजोर पुत्र सलावत खॉ जाति मुसलमान सा. देह राहिन अब्दुल मजीद पुत्र सलावत खॉ जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि जरजोर के बजाय जमसीर दर्ज किया जाना उचित रहेगा।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076,नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2065–68, 2069–72, प्रमाणित प्रति खसरा पत्रक संवत 2035, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2039, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2025–28, फोटोकॉपी आधार कार्ड वादीगण प्रस्तुत किये है

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:47:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे वादीगण के पिता का नाम जरजोर पुत्र सलावत खॉ के स्थान पर जमसीर पुत्र सलावत खॉ दर्ज करने का निवेदन किया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉपी आधार कार्ड मे भी वादीगण के पिता का नाम जमसीर अंकित है। अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं ग्राम उदेईकलॉ की जमाबंदी संवत 2073–76, खाता संख्या 320 मे अंकित नाम जरजोर पुत्र सलावत खॉ के स्थान पर जमसीर पुत्र सलावत खॉ दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे अंकित अन्य प्रविष्ठिया यथावत रहेगी।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested